(81)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 930–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–12–13 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 228/अपील/11–12.

1– मनोज कुमार आ. स्व. ललित किशोर
2– श्रीमती सुदामा पत्नी स्व. ललित किशोर
निवासीगण ग्राम भट्टी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– दिनेश कुमार वर्मा आ. गयाप्रसाद वर्मा
2– सत्यप्रकाश वर्मा आ. गयाप्रसाद वर्मा
3– रामरतीबाई पत्नी गयाप्रसाद वर्मा
4– श्रीमती मालती पत्नी स्व. कुंजबिहारी
5– कृष्णकुमारी आ. कुंजबिहारी
6– राजेश कुमार आ. स्व. कुंजबिहारी
7– अवधेश कुमार आ. स्व. कुंजबिहारी
8– विकास कुमार आ. स्व. कुंजबिहारी
निवासीगण ग्राम भट्टी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
9– श्रीमती रेखा बाई पत्नी अनिल मेहतो
आ. स्व. कुंजबिहारी निवासी ग्राम टिकारी
तहसील व जिला बैतूल
10– नन्द कुमार आ. गयाप्रसाद
निवासीगण ग्राम भट्टी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
11– श्रीमती रामरती बाई पत्नी स्व. मनमोहन वर्मा
12– अश्विनी कुमार आ. स्व. मनमोहन वर्मा
निवासीगण कैलाश वार्ड बैतूल बाजार
तहसील व जिला बैतूल .....अनावेदकगण

श्री जे.पी. शुक्ला, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी0के0 चौहान, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/12/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा तहसीलदार, इटारसी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा ललित किशोर, कुंजबिहारी एवं नन्द कुमार के विरूद्ध स्वत्व घोषणा हेतु व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, इटारसी के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था । व्यवहार न्यायालय द्वारा वाद कमांक 34–अ/99 में पारित आदेश दिनांक 31–3–2004 से उनके पक्ष में डिकी पारित की गई है, और उसकी अपील भी दिनांक 13–9–2005 के आदेश से निरस्त कर दी गई है । अतः लोधड़ीखुर्द स्थित भूमि सर्वे कमांक 238/1 रकबा 3.58 एकड़, सर्वे कमांक 238/2 रकबा 1.13 एकड़, सर्वे कमांक 240 रकबा 2.45 एकड़ एवं सर्वे कमांक 245 रकबा 0.24 एकड़ पर वे नामांतरण कराने की पात्रता रखते हैं, अतः उनका नामांतरण किया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 57/अ–6/2006–07 दर्ज कर दिनांक 11–7–2011 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमियों पर से आवेदकगण का नाम कम करते हुए रामरतीबाई पत्नी गयाप्रसाद, दिनेश कुमार, सत्यप्रकाश, नन्द किशोर पुत्रगण स्व. गयाप्रसाद, मालतीबाई पत्नी स्व. कुंजबिहारी, कृष्ण कुमार, राजेश कुमार, अवधेश कुमार, विकास कुमार पुत्रगण कुंजबिहारी, श्रीमती रेखाबाई पुत्री स्व. कुंजबिहारी, श्रीमती रामरतीबाई पत्नी मनमोहन, अश्विनी कुमार पुत्र मनमोहन के नाम नामांतरण स्वीकार किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, इटारसी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–7–2012 को आदेश पारित किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 26–12–13 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील में 12 पक्षकार थे, जबकि आयुक्त के समक्ष केवल 11 लोगों को ही अनावेदकगण के रूप में पक्षकार बनाया गया है, अतः पक्षकारों के असंयोजन के कारण द्वितीय अपील निरस्त किये जाने योग्य थी, इसके बावजूद भी आयुक्त द्वारा गुण–दोष पर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्वीकार किया गया कि तहसील न्यायालय में आवेदकगण को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी अपील निरस्त करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में आदेश पारित करते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि तहसीलदार के प्रकरण में किसी भी न्यायालय के आदेश, निर्णय तथा डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न नही है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि व्यवहार न्यायालय का आदेश जिस भूमि के संबंध में है, उसी पर आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसके बावजूद भी उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य थी, जिसकी पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण को अनुचित लाभ पहुंचाने की मंशा से अभिलेख दिनांक 28–7–2012 को ही आदेश पारित कर भिजवा दिया गया है, जबकि वास्तव में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–7–2012 को आदेश पारित किया गया है, इस गम्भीर त्रुटि पर आयुक्त द्वारा कोई विचार किये बिना आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमियां आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व की भूमियां है, और उनके नाम निरस्त कर अन्य लोगों के नाम दर्ज किया गया है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है ।

(7) तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 11–7–11 को जो आदेश पारित किया गया है, वह घोषणात्मक होकर, डिक्री जैसा आदेश है, जबकि घोषणा अथवा डिक्री पारित करने का

अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, इस स्थिति पर दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया ।

उनके द्वारा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में आदेश पारित किया गया है, और व्यवहार न्यायालय का आदेश एवं डिक्री राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

तर्कों के समर्थन में 1989 आर.एन. 72 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में दिनांक 31–7–2012 को अंतिम आदेश पारित किया गया है, जबकि तहसील न्यायालय के प्रकरण में जो आदेश संलग्न है, उसमें आदेश पारित होने का दिनांक 28–7–2012 है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील एक ही प्रकरण में पृथक–पृथक दिनांकों को दो अंतिम आदेश पारित किये गये हैं, जो कि वैधानिक प्रावधानों के पूर्णतः विपरीत कार्यवाही है, कारण किसी भी न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई उपरांत एक ही अंतिम आदेश पारित किया जाता है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है, और आयुक्त द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिए उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त आवेदकगण की ओर से इस न्यायालय में यह आधार लिया जा रहा है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, और न ही अनावदेगण की ओर से तहसील न्यायालय में व्यवहार न्यायालय का ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत किया गया है, जो कि आवेदकगण के विरूद्ध हो । उक्त कथन के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, साथ ही आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा भी इसी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश

निरस्त किये जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए आवेदकगण की ओर से इस न्यायालय में उठाये गये आधारों पर विचार कर विधि के प्रावधानों के अनुरूप आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–13 एवं अनुविभागीय अधिकारी, इटारसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–7–2012 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर